पत्र संख्या–6 / आधु0–01–05 / 2016गृ0आ0...................... /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना

पटना, दिनांक जनवरी, 2017

विषय :– **पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2015–16 के अंतर्गत B.D.D.S. के लिए स्वीकृत 1 अद्द Portable Jammer (Model EC-SPJE-400, फ्रीक्वेंसी 20-500 MHz with 4G Jamming facility) का क्रय मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली से करने हेतु पूर्व स्वीकृत राशि ₹ 40.00 लाख (चालीस लाख रू0) मात्र के अतिरिक्त लागत राशि ₹ 37.3955 लाख (सैतीस लाख उनचालीस हजार पाँच सौ पचास रू0) मात्र राज्यांश मद से किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–6704, दिनांक 26.08.2016 द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2015–16 के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि ₹ 2312.00 लाख (तैईस करोड़ बारह लाख रू0) तथा राज्यांश ₹ 1728.05 लाख (सत्रह करोड़ अठाईस लाख पाँच सौ रू0) यानि कुल ₹ 4040.05 लाख (चालीस करोड़ चालीस लाख पाँच हजार रू0) मात्र के योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो में कराये जाने एवं केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश ₹ 2312.00 लाख (तैईस करोड़ बारह लाख रू0) तथा इसके समानुपाति राज्यांश ₹ 1542.00 लाख (पन्द्रह करोड़ बयालीस लाख पाँच हजार रू0) यानि कुल ₹ 3854.00 लाख (अड़तीस करोड़ चौवन लाख रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान किया गया है। उक्त स्वीकृत्यादेश के अंतर्गत B.D.D.S. के लिए 1 अद्द Portable Jammer केन्द्रांश ₹ 22.59356 लाख तथा राज्यांश ₹ 17.40644 लाख यानि कुल ₹ 40.00 लाख की दर से स्वीकृत है।

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का पत्रांक 1327 / आपूर्ति, दिनांक 22.12.2016 एवं मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के Proforma Invoice के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–6704, दिनांक 26.08.2016 में सन्निहित B.D.D.S. के लिए स्वीकृत 1 अद्द Portable Jammer (Model EC-SPJE-400, फ्रीक्वेंसी 20-500 MHz with 4G Jamming facility) का क्रय मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली से करने हेतु पूर्व स्वीकृत राशि ₹ 40.00 लाख (चालीस लाख रू0) मात्र के अतिरिक्त लागत राशि ₹ 37.3955 लाख (सैतीस लाख उनचालीस हजार पाँच सौ पचास रू0) मात्र राज्यांश मद से किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त राशि का व्यय गैर योजना की मांग सं0–22, बजट शीर्ष–2055–पुलिस, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण उपशीर्ष–0001–पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि, विषय शीर्ष– 52 01–मशीनें एवं उपस्कर तथा विपत्र कोड N2055001150001 में केन्द्रांश / राज्यांश के अंतर्गत उपबंधित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं अनुवर्ती वर्षों में विकलनीय होगा।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहीत विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–6/आधु0–01–05/2016 गृ0आ0 के पृ0–48/टि0 पर दिनांक–18.01.2017 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/आधु0–01–05/2016गृ0आ0 685 पटना, दिनांक 24 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा 23/01/17

सरकार के अवर सचिव

दिनेश